आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

गुजरात अनुसूचित जाति के हिंदू और दूसरी जाति के हिंदू के बीच विवाह करने वाले जोड़ों को सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए छोटी बचत के प्रमाणपत्र और घरेलू सामान के लिए अनुदान देता है।

क्या मिल सकता है

पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर 1,00,000 रुपये के छोटी बचत प्रमाणपत्र उपहार के रूप में, और घरेलू सामान खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये।

किसके लिए है

अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े, जिनमें एक साथी गुजरात का मूल निवासी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो और दूसरा अनुसूचित जाति से बाहर के समुदाय का हिंदू हो।

मुख्य शर्तें

- दोनों साथियों में से एक अनुसूचित जाति का और गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण होना चाहिए और विवाह के बाद दो साल के भीतर आवेदन करना होगा।
- गुजरात के मूल निवासी से विवाह करने वाला साथी अगर गुजरात से बाहर का हो, तो उसके माता-पिता गुजरात में पांच साल से रहते हों।
- दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति से बाहर के साथी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वहां उसे अस्पृश्य नहीं माना जाता और वह हिंदू धर्म मानता है।
- संतानहीन विधवा या विधुर जो पुनर्विवाह करे, वह भी शामिल है। आय की कोई सीमा नहीं है।

दस्तावेज़

- विवाह के पंजीकरण का प्रमाण
- दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति से बाहर के साथी के लिए प्रमाणपत्र
- तय प्रारूप में आवेदन

आवेदन कैसे करें

1. विवाह का पंजीकरण कराएं।
2. योजना के पेज से तय प्रारूप का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
3. विवाह के दो साल के भीतर आवेदन अमल करने वाले कार्यालय, उप निदेशक (अनुसूचित जाति कल्याण) कार्यालय में जमा करें।
4. योजना की जानकारी विभाग के ऑनलाइन ई-समाज कल्याण पोर्टल पर भी दी गई है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dscw/showpage.aspx?contentid=1610
आधिकारिक आवेदन: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=F346tpHtKWIL27Mpkoh97w==
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-dr-savitaben-ambedkar-intercaste-marriage/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।